



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3 ]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2017/चैत्र 29, 1939

No. 3 ]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2017/CHAITRA 29, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. 391(अ).— केंद्रीय सरकार, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 10ख (1) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लागत और संकर्म लेखापाल (निर्वाचन अधिकरण) नियम 2006 के अनुसरण में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 15 अक्टूबर, 2015 को प्रकाशित कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 787(अ) तारीख 15 अक्टूबर, 2015 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

2. उक्त अधिसूचना में मद (ii) और मद (iii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(ii) श्री देवेन्द्र कुमार, सदस्य

सलाहकार (लागत),

कारपोरेट कार्य मंत्रालय,

पर्यावरण भवन,

सीजीओ काम्पलेक्स, लोदी रोड,

नई दिल्ली-110003

(iii) श्रीमती गीता सिंह राठीर, सदस्य”।

उप महानिदेशक,

कारपोरेट कार्य मंत्रालय,

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

[फा.सं. 2/4/2015-पीआई]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिपण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 787(अ) तारीख 15 अक्टूबर, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन सा.का.नि. 857(अ) तारीख 16 नवंबर, 2015, सा.का.नि. 498(अ) तारीख 11 मई, 2016, सा.का.नि. 922(अ) तारीख 28 सितंबर, 2016 और सा.का.नि. 1074(अ) तारीख 17 नवंबर, 2016 द्वारा किए गए।

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th April, 2017

**G.S.R. 391(E).**— In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 10B of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959) and in pursuance of rule 3 of the Cost and Works Accountants (Election Tribunal) Rule 2006, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Ministry of Corporate Affairs *vide* number G.S.R. 787(E) dated the 15<sup>th</sup> October, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 15<sup>th</sup> October, 2015, namely:-

2. In the said notification, for items (ii) and (iii), the following shall be substituted, namely:-

- |       |                                                                                                                                                  |          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| “(ii) | Shri Devendra Kumar,<br>Advisor (Cost),<br>Ministry of Corporate Affairs,<br>Paryavaran Bhawan,<br>CGO Complex, Lodhi Road,<br>New Delhi-110003. | Member   |
| (iii) | Smt. Geeta Singh Rathore,<br>Deputy Director General,<br>Ministry of Corporate Affairs,<br>Shastri Bhawan,<br>New Delhi-110001.                  | Member”. |

[F.No. 2/4/2015-PI]  
K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* G.S.R. No. 787(E) dated 15<sup>th</sup> October, 2015, subsequently amended *vide* G.S.R. No. 857(E), dated 16<sup>th</sup> November, 2015, G.S.R. No. 498 (E), dated 11<sup>th</sup> May, 2016, G.S.R. No. 922(E) dated 28<sup>th</sup> September, 2016 and G.S.R. No. 1074(E) dated 17<sup>th</sup> November, 2016.